मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 020/2024

1. रोहिताश कुमार पुत्र स्व0 दुलीचन्द जाति कुमार (प्रजापति) निवासी चक नम्बर 5 ए.जी. डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. प्रेम कुमार पुत्र स्व0 दुलीचन्द जाति कुमार (प्रजापति) निवासी चक नम्बर 5 ए.जी. डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– – वादीगण

बनाम

1. गुड्डी देवी पत्नी स्व0 दुलीचन्द्र जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी चक नम्बर 5 ए.जी. डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. राजबाला पुत्री स्व0 दुलीचन्द पत्नी मांगीलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. सुनीता पुत्री स्व0 दुलीचन्द पत्नी सुभाषचन्द्र जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. पुष्पा पुत्री स्व0 दुलीचन्द पत्नी प्रेम कुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ।
5. सुमन पुत्री स्व0 दुलीचन्द पत्नी हनुमान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बीरवाना तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय

दिनांक :– 20.2.2024

वादीगण की ओर से श्री विजय बैनीवाल अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री नरेन्द्रपाल वर्मा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20.2.2024 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश [illegible] किया [illegible] कर अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर [illegible] करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वी[illegible]र योग्य पाये जानें पर [illegible]स्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद पत्र में वर्णित दुलीचन्द के नाम से चक नंम्बर 5 एजी के संयुक्त खाता में खाता संख्या 41/33 में कुल 0.063 है0 आराजी में से 1/5 हिस्सा व इसी चक 5 एजी के खाता संख्या 33/29 में कुल 0.

उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:11:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

0.10 हैक्टेयर कमाण्ड मय गैर मुमकिन आराजी के वादीगण को ब0हि0व0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड में अंकन कर चक नम्बर 5 एजी के खाता संख्या 33/29 व 41/33 में से पूर्णीचन्द, का नाम कलमजन किये जाने के आदेश किये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिहरी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा सड़ी/बासनी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगें। यह डिक्री आज दिनांक 20.2.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
परगना सहायक कलक्टर
टिहरी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
रूपये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---		
योग	---	योग	---

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:11:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner